मण्डलः- लखनऊ,जनपदः- लखनऊ,तहसीलः- लखनऊ
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्याः- 07391/2018
अशोक आदि बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धाराः- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथिः- 14/06/2018

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही अशोक व भैरो सिंह व अजय कुमार पुत्रगण स्व0 सन्तराम निवासीगण ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभिलिखित है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 128सं रकबा 1.2460हे0 में से रकबा 1.0120हे0 स्थित ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ ग्राम का बतौर संक्रमणीय भूमिधर मालिक कामिल व काबिज है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के आस पास रिहायशी व व्यावसायिक भवन बने हुए हैं और प्रार्थीगण की भूमि के आस-पास व प्रार्थीगण की भूमि पर काफी समय से कृषि कार्य व मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन आदि नही हो रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पर निर्माण हो रहा है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.05.2018 के अनुसार गाटा संख्या 128सं रकबा 1.012हे0 खातेदार अशोक, भैरोसिंह, अजय कुमार पुत्रगण सन्तराम व श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 सन्तराम निवासी ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ अभिलेखों में दर्ज है। उक्त गाटा पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। अतः गाटा संख्या 128सं रकबा 1.012हे0 कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में ग्राम धावां परगना, तहसील व जिला लखनऊ का खसरा 1423फ0 एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की प्रमाणित की प्रति संलग्न की गई है। वादीगण द्वारा मौके का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया है व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 व नियम 85 (2) के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान संख्या जी-070015 दिनांक 22.06.2018 को रु0 1,45,728/- (रुपये एक लाख पैंतालीस हजार सात सौ अट्ठाइस रुपये मात्र) जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार सदर लखनऊ की उक्त आख्या दिनांक 05.05.2018 से संतुष्ट होने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी को नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब/आपत्ति कार्यालय को प्राप्त नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया, तथा पत्रावली पर रक्षित साक्ष्यो का गहनता से परीक्षण किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 05.05.2018 के अनुसार गाटा संख्या 128सं रकबा 1.012हे0 खातेदार अशोक, भैरोसिंह, अजय कुमार पुत्रगण सन्तराम व श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0 सन्तराम निवासी ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ अभिलेखों में दर्ज है। उक्त गाटा पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वादीय भूमि का छाया चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना से पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.05.2018 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम धावां, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खाता संख्या 00005 की गाटा संख्या 128स रकबा 1.2460हे0 में से रकबा 1.0120हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

प्रतिलिपि कर्ता:
मिलानकर्ता:
तिथि: 17-07-19

नकल आवेदन-पत्र दर्ज करने की तिथि 17-07-19
नकल तैयार करने की तिथि 17-07-19
नकल जारी करने की तिथि 17-07-19

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट (सदर)